संख्या–1386/XXVIII–5–/2009–175/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून: दिनांक: 13 नवम्बर, 2009

विषय: **वित्तीय वर्ष 2009–10 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग के अनावासीय भवनों में में वार्षिक/अनुरक्षण कार्य एवं विशेष मरम्मत के कार्यों के 07 कार्यों की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/10/2009/39030 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग के अनावासीय भवनों में टाईलिंग, मारवल फ्लोरिंग, अनुरक्षण कार्य एवं विशेष मरम्मत के कार्यों के 7 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में औचित्यपूर्ण लागत रू0 19,59,000.00 (रू0 उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए संलग्नकानुसार कुल रू0 19,59,000.00 (रू0 उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर चिकित्सा विभागान्तर्गत संबंधित जनपदों के जनपद स्तरीय आहरण वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर के अधिकारी का विभागीय तकनीकी अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या एवं दिनॉक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवयक होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– धनराशि उन्हीं मदों/कार्यों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जाय।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.12.2009 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तिय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। निर्धारित समयावधि में पूर्ण उपयोग न करने का मूलरूप से दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

10– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

11– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य को अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

12— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

13— निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली—2008 के सुसंगत प्राविधानों का पालन कड़ाई से किया जाय तथा वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0 हस्ताक्षरित कर लिया जाय।

14— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली—भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात दिए गए निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

15— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व प्रयोगशाला से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

16— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या—2047/XIV-219(2006) देहरादून दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

18— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष—2009—10 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक— 2059—लोक निर्माण कार्य—आयोजनेत्तर 80—सामान्य 053—रख—रखाव तथा मरम्मत 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0101—12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण 29—अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

19— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0—305(NP)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5/09 दिनांक 12—11—2009 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,

संख्या—1386(1)/XXVIII-5-2009-175/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2 निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3 आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
4— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6— मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून।
7— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8— अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10— मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12— गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश सं0--1336/XXVIII-5-2009-175/2009 दिनांक 13 नवम्बर, 2009 का संलग्नक

क्र. सं.	जनपद	प्राप्त आगणनों की संख्या	आगणन में कार्यों का संक्षिप्त विवरण			
				कार्य का नाम	लागत रूपये में	टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत लाख रू0 में
1	देहरादून	07	1.	एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश में प्रथम तल पर प्रसूति गृह ब्लाक में डेडो एवं टाईल्स लगाने के कार्य	250000.00	2.40
			2.	एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के द्वितीय एवं तृतीय तल में रेम्प की डेडो पर टाईल्स लगाने का कार्य	250000.00	2.40
			3.	एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के तृतीय तल पर वार्षिक मरम्मत का कार्य	272585.00	2.68
			4.	एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के द्वितीय तल पर वार्षिक मरम्मत का कार्य	310580.00	3.03
			5.	एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के प्रथम तल पर वार्षिक मरम्मत का कार्य	422750.00	4.13
			6.	एस0पी0एस0 राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश के भूतल पर वार्षिक मरम्मत का कार्य	326245.00	3.26
			7.	एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश मे भवन के भूतल व प्रथम तल की रैम्प के डेडो वाल पर टाईल्स लगाने का कार्य	177104.00	1.69
			कुल योग		2009264.00	19.59

(रू0 उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव